दिनांक 23.08.2024
प्रेस विज्ञप्ति 30/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के दृष्टिगत प्रभावी पुलिस प्रबन्ध के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे एवं समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0 को आगामी त्यौहारों यथा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आदि के दृष्टिगत मुख्यालय स्तर से समय–समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रभावी पुलिस प्रबन्ध हेतु पुनः महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निम्नांकित दिशा निर्देश दिये गयेः–

- प्रत्येक थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर तथा रजिस्टर नं0–8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय तथा **किसी नई परम्परा की अनुमति** कदापि न दी जाय। असामाजिक/अवॉछनीय तत्वों की सूचियों को अद्यावधिक कर लिया जाय तथा आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से सम्बन्धित समस्त आयोजन, लीला स्थल, पंडाल, मंदिर एवं जुलूसों को सूचीबद्ध कर योजनाबद्ध तरीके से पुलिस व्यवस्थापन किया जाये। समस्त आयोजनों/कार्यक्रमों में आने वाले श्रद्धालुओं की सम्भावित संख्या का आंकलन करते हुये तद्नुसार सुदृढ़ सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन किया जाये।
- जनपदों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के विभिन्न कार्यक्रमों, आयोजकों/प्रबन्धकों तथा धर्मगुरूओं के साथ गोष्ठी कर ली जाये तथा संज्ञान में लायी गयी समस्याओं का सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर समय से निस्तारण कराया जाये।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व से सम्बन्धित जिन–जिन स्थानों पर विगत वर्षो में अथवा इस वर्ष किसी प्रकार का विवाद परिलक्षित हुआ हो, वहॉ पुलिस एवं राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा स्थिति का अध्ययन कर विवाद को सुलझाने तथा संवेदनशीलता को दूर करने के लिये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- बीट भ्रमण के दौरान द्वारा सभी प्रकार के विवाद आदि की गहनता से जॉच कर ली जाय एवं बीट सूचना प्राप्त होते ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर समय रहते विवाद का निस्तारण कराया जाय तथा आवश्यकतानुसार विवाद स्थलों, मार्गो का भ्रमण जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी द्वारा भी कर लिया जाये।
- समस्त जनपदों में गश्त चेकिंग हेतु पुलिस पार्टी नियमित रूप से निकाली जाये। प्रातःकालीन गश्त चेकिंग पार्टी (पोस्टर पार्टी) द्वारा सघन रूप से चेकिंग कराना सुनिश्चित किया जाय।
- शोभायात्रा के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत समुचित वीडियोग्राफी करायी जाये। समस्त कार्यकम के आसपास तथा जुलूसों के मार्ग पर स्थित सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय/कियाशील करा लिया जाये। महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरों से भी चेकिंग करायी जाये।
- शोभायात्रा जुलूसों में सुरक्षा के लिये योजनाबद्ध रूप से पर्याप्त पुलिस प्रवन्ध किया जाये। समस्त महत्वपूर्ण आयोजनों में राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस व्यवस्थापन किया जाये।
- थानाध्यक्षों/क्षेत्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुये तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर विवाद को हल करने हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित किया जाये।
- आवश्यकतानुसार समस्त सार्वजनिक स्थल यथा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील स्थानों /धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित करते हुये नियमित रूप से मोबाइल/फुट पेट्रालिंग करायी जाये।
- महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु पर्याप्त संख्या में सादी वर्दी में पुरूष एवं महिला पुलिस कर्मियों की ड्यिूटी लगायी जाये।
- जनपद में पूर्व में गठित शान्ति समितियों की बैठक आयोजित कर सम्भ्रान्त नागरिकों, शान्ति समितियों के सदस्यों का सक्रिय सहयोग लिया जाये तथा आवश्यकतानुसार नागरिक सुरक्षा समितियों के पदाधिकारियों/सदस्यों आदि का सक्रिय सहयोग लिया जाय।
- उक्त अवसर पर भीड़ प्रबन्धन एवं भीड़ नियत्रंण के सिद्धान्तों पर अमल करते हुये पूर्व से ही प्लानिंग एवं तकनीक का प्रयोग कर व्यापक इन्तजाम किये जाये।

- स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्क रखते हुये असामाजिक एवं अवॉछनीय तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाय एवं अभिसूचना इकाईयों के माध्यम से प्राप्त होने वाली लाभप्रद सूचनाओं के आधार पर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- सोशल मीडिया की राउण्ड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाये। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्टों का तत्काल संज्ञान लेकर उनका प्रभावी खण्डन करते हुये वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- सुरक्षा योजना के दृष्टिगत समस्त आवश्यक प्रबन्ध यथा एक्सेस कन्ट्रोल, एन्टी सेबोटाज चेक तथा क्यू0आर0टी0 टीम का व्यवस्थापन आदि के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जाये।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तथा चेहल्लुम के कार्यक्रम जिन स्थानों पर एक साथ आयोजित हों, इसकी अलग से योजनाबद्ध तैयारी कर ली जाय। इस सम्बन्ध में दोनों आयोजकों से स्थानीय मजिस्ट्रेट के साथ वार्ता/गोष्ठी कर ली जाय। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं अपने पर्यवेक्षण में पुलिस प्रबन्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

दिनांक 23.08.2024
प्रेस विज्ञप्ति 31/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मथुरा/थाना गोविन्दनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने के आभूषण**
- **5500/-रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 22/23.08.2024 को थाना गोविन्दनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आईएसबीटी के परिसर एन0एच0-19 के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1-शिवा सिंह घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2-परमानन्द उर्फ लोकेश सहित गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने के आभूषण, 5500/-रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार शिवा सिंह थाना गोविन्दनगर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोविन्दनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवा सिंह निवासी वार्ड नं0–09 सतवास थाना सतवास जनपद देवास, म0प्र0।

2–परमानन्द उर्फ लोकेश निवासी स्कन्दधाम कालोनी थाना भवरकुंआ जनपद इंदौर, म0प्र0।

बरामदगी

1–चोरी के सोने के आभूषण।

2–5500/–रूपये नगद।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना हाईवे

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का सोने का चैन**
- **लूटी गयी मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 22/23.08.2024 को थाना हाईवे पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाईवे से भरतपुर रोड फौजी ढाबा के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–राजकुमार 2–अरविन्द उर्फ कल्लू घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–सुनील सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट की सोने की चैन, लूटी गयी मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना हाईवे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजकुमार निवासी देवीपुरा थाना हाईवे जनपद मथुरा स्थायी निवासी–ऊँधनी थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद।

2–अरविन्द उर्फ कल्लू निवासी भैंसरोली थाना भोगांव जनपद मैनपुरी।

3–सुनील निवासी शास्त्रीनगर पीपल वाली गली थाना कोतवाली जनपद मथुरा स्थायी निवासी–ऊँधनी थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–लूट की सोने की चैन।

2–लूटी गयी मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद आजमगढ़/थाना देवगॉव

- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **चोरी की 03 मोटर साइकिल, 01 लैपटाप, 02 बैट्री, 01 इन्वर्टर, 02 मोटर पम्प**
- **चोरी के अन्य सामान**
  - **01 मोबाइल फोन**
- **नगद रूपये**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 23.08.2024 को थाना देवगॉव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डोमनपुर बार्डर पर चेकिंग के दौरान 08 अभियुक्तों 1–सत्यम 2–रोशन 3–किशन उर्फ प्रियांशु 4–कृष्ण कुमार उर्फ पिन्टू 5–आदर्श उर्फ अलगू 6–उमेश 7–निश्चय 8–दिवाकर को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के

कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, चोरी की 03 मोटर साइकिल, 01 लैपटाप, 02 बैट्री, 01 इन्वर्टर, 02 मोटर पम्प, चोरी के अन्य सामान, 01 मोबाइल फोन, नगद रूपये, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना देवगॉव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना देवगॉव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना देवगॉव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सत्यम निवासी रूद्रपुर चेवार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

2–रोशन निवासी कंजहित थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

3–किशन उर्फ प्रियांशु निवासी अबुसही थाना चन्दवक जनपद जौनपुर।

4–कृष्ण कुमार उर्फ पिन्टू निवासी भदेवरा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

5–आदर्श उर्फ अलगू विशुनपुर बसंत थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

6–उमेश निवासी बनारपुर थाना देवगॉव जनपद आजमगढ़।

7–निश्चय निवासी भदेवरा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

8–दिवाकर निवासी सकरा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–चोरी की 03 मोटर साइकिल, 01 लैपटाप, 02 बैट्री, 01 इन्वर्टर, 02 मोटर पम्प।

3–चोरी के अन्य सामान।

4–01 मोबाइल फोन।

5–नगद रूपये

6–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद अमेठी/थाना शिवरतगंज

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 23 मोबाइल फोन**
- **चोरी के माल ब्रिकी से प्राप्त 50 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 22.08.2024 को थाना शिवरतगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जेहटा उसरहा से अहोरवा भवानी मार्ग से 04 अभियुक्तों 1–अनुज कुमार 2–अमरेश 3–अजय कुमार 4–आशीष कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, चोरी के 23 मोबाइल फोन, चोरी के माल ब्रिकी से प्राप्त 50 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना शिवरतगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शिवरतगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, मोबाइल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शिवरतनगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनुज कुमार निवासी रामपुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
2–अमरेश निवासी ग्राम जोरई थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
3–अजय कुमार निवासी पूरे मेड़ई तिवारीपुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
4–आशीष कुमार निवासी पूरे जोरई थाना इन्हौना जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।
2–चोरी के 23 मोबाइल फोन।
3–चोरी के माल ब्रिकी से प्राप्त 50 हजार रूपये नगद।

जनपद अमेठी/थाना मुन्शीगंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने के आभूषण**
- **चोरी के माल ब्रिकी से प्राप्त 30 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 22.08.2024 की रात्रि थाना मुन्शीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शंकरगंज चौराहा के पास से अभियुक्त हिमांशू उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने के आभूषण, चोरी के माल ब्रिकी से प्राप्त 30 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मुन्शीगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मुन्शीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मुन्शीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हिमांशू उर्फ राहुल निवासी टेरी थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–चोरी के सोने के आभूषण।

2–चोरी के माल ब्रिकी से प्राप्त 30 हजार रूपये नगद।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 08 लाख 37 हजार रूपये कीमत के 55 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा**
- **12 हजार 560 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त कार बरामद**

दिनॉकः 22/23.08.2024 की रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चरथावल–न्याजूपुरा रोड पर स्थित गुडलक बैंकट हॉल के पास चेकिंग के

दौरान 03 अभियुक्तों 1—सचिन उर्फ बिट्टू 2—राहुल 3—गजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही पर लगभग 08 लाख 37 हजार रूपये कीमत के 55 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा, 12 हजार 560 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सचिन उर्फ बिट्टू के विरूद्ध जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर एनडीपीएस, आबकारी एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त राहुल के विरूद्ध जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर एनडीपीएस, आबकारी एक्ट के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सचिन उर्फ बिट्टू निवासी ग्राम पावटी थाना जानी जनपद मेरठ।

2—राहुल निवासी लच्छेड़ा थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

3—गजेन्द्र निवासी लच्छेड़ा थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—लगभग 08 लाख 37 हजार रूपये कीमत के 55 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा।

2—12 हजार 560 रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त कार।

- **जनपद बिजनौर/थाना मण्डावर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 03 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना मण्डावर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट अन्तर्गत अभियुक्त 1—साहब सिंह 2—संदीप 3—कुलदीप को आजीवन कारावास व 03 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना गंगोह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आशु को 10 वर्ष के सश्रम कारावास 40 हजार हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———